भारतीय ज्ञान परंपरा में शिक्षा के समाजशास्त्रीय आधार

सम्पादक :
डॉ. दिनेश चन्द्र शर्मा

भारतीय ज्ञान परम्परा में शिक्षा के समाजशास्त्रीय आधार

सम्पादक :

डॉ. दिनेश चन्द्र शर्मा

Ph.D., D.Lit. (Sub.)

निदेशक, कॉम्पिटिशन प्लस ग्रुप ऑफ इन्स्टीट्यूशन,
अजमेर

छवि पब्लिकेशन्स

अजमेर-305001

प्रकाशक :
छवि पब्लिकेशन्स
अजमेर-305001
मो. 9660111549

संस्करण :
प्रथम 2024

ISBN : 978 - 81 - 89435 - 66 - 0

मूल्य - 300/-

रचना - भारतीय ज्ञान परम्परा में शिक्षा के समाजशास्त्रीय आधार

सम्पादक - डॉ. दिनेश चन्द्र शर्मा

मुद्रक - श्रीनिवास प्रिन्टोग्राफिक्स, अजमेर

कौटिल्य के अर्थशास्त्र में स्थानीय प्रशासन

रतनलाल कुमावत
सहायक आचार्य (शिक्षा विभाग)
हुकुमचन्द नोबेल इंस्टीट्यूट ऑफ साईंस एण्ड टेक्नोलॉजी, अजमेर

कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र प्राचीन भारत की राज्यव्यवस्था, अर्थनीति, और प्रशासनिक संगठन का विश्वकोशीय ग्रंथ है। इसमें एक विजिगीषु (विजय की अभिलाषा रखने वाले) राजा के अधीनस्थ राज्य के केन्द्रीकृत प्रशासन तंत्र का अत्यंत सूक्ष्म, तर्कसंगत और व्यवस्थित विश्लेषण किया गया है। कौटिल्य ने शासन को एक संगठित तंत्र के रूप में देखा है, जिसमें प्रत्येक अधिकारी और संस्थान का कार्य स्पष्ट रूप से परिभाषित है।

राज्य का सर्वोच्च प्रमुख राजा होता है, जो शासन के संचालन का केंद्रबिंदु है। वह शासन-प्रशासन को अपनी मंत्रिपरिषद, मंत्रीगण, अमात्य तथा अध्यक्षों के माध्यम से संचालित करता है। कौटिल्य ने प्रशासनिक व्यवस्था को स्तरवार विभाजित किया है—उच्च स्तर पर राजा और मंत्रिपरिषद; मध्य स्तर पर अमात्य और अध्यक्ष; तथा निम्न स्तर पर राजकर्मचारी और जनसेवक। इस प्रकार, सम्पूर्ण प्रशासनिक तंत्र एक सुसंगठित श्रेणीबद्ध प्रणाली के रूप में कार्य करता है, जिसमें प्रत्येक अधिकारी अपने कार्य के लिए राजा के प्रति उत्तरदायी है।

कौटिल्य का प्रशासनिक दर्शन इस विचार पर आधारित है कि शासन की सफलता राजा की व्यक्तिगत क्षमता, योग्य मंत्रियों की नियुक्ति, और कर्मठ प्रशासनिक व्यवस्था पर निर्भर करती है। उन्होंने प्रशासन में उत्तरदायित्व, नैतिकता, दक्षता तथा दंडनीति के संतुलन को अनिवार्य माना है। इस कारण अर्थशास्त्र न केवल प्रशासनिक संरचना का विवरण देता है, बल्कि सुशासन के नैतिक और दार्शनिक आधारों की भी स्थापना करता है।

विभागीय अध्यक्षों की नियुक्ति और उत्तरदायित्व

कौटिल्य के प्रशासनिक तंत्र की विशेषता उसका संगठित केन्द्रीकरण है। राजा शासन का सर्वोच्च प्रधान होते हुए भी संपूर्ण प्रशासन को अकेले नहीं चला सकता था। इसलिए उसने विभिन्न विभागों के संचालन के लिए योग्य, प्रशिक्षित और निष्ठावान अधिकारियों की नियुक्ति की। ये अधिकारी 'अमात्य वर्ग' के अंतर्गत आते थे और

उनके अधीन विभागीय अध्यक्ष कार्य करते थे।

कौटिल्य ने कहा — 'राजा सर्वकार्येषु अध्यक्षान् नियोजयेत्।' अर्थात् राजा को सभी कार्यों के लिए अध्यक्ष नियुक्त करना चाहिए।

इन अध्यक्षों के द्वारा शासन के विविध अंगों — अर्थव्यवस्था, रक्षा, न्याय, निर्माण, खनिज, उद्योग, वाणिज्य, नगर-व्यवस्था आदि का सुचारू संचालन होता था। प्रत्येक विभाग के अध्यक्ष अपने कार्य के लिए सीधे राजा के प्रति उत्तरदायी था।

अष्टादशतीर्थ — प्रशासनिक विभागों का संगठन

कौटिल्य ने शासन के प्रमुख विभागों को अठारह प्रमुख अंगों (अष्टादशतीर्थ) में विभाजित किया है। प्रत्येक तीरथ (विभाग) का एक अध्यक्ष होता था, जिसके अधीन उप-अध्यक्ष, लेखाधिकारी, और निरीक्षक कार्य करते थे। इन विभागों की संरचना आधुनिक मंत्रालयों जैसी थी।

अर्थशास्त्र में वर्णित प्रमुख अष्टादशतीर्थ (अठारह विभाग) इस प्रकार हैं —

(1) **मंत्री** :— विभाग का सर्वोच्च पदाधिकारी, जो नीति निर्माण और प्रशासनिक निर्णयों में राजा का परामर्शदाता होता था।

(2) **पुरोहित** :— धार्मिक कार्यों यज्ञ, और राजकीय संस्कारों का अधिष्ठाता; नैतिक दिशा प्रदान करने वाला।

(3) **सेनापति** :— सम्पूर्ण सैन्य बल का प्रमुख; रक्षा नीति, प्रशिक्षण और युद्ध संचालन का प्रभारी।

(4) **युवराज** :— उत्तराधिकारी एवं राजप्रशासन का प्रधान अधिकारी; राजा की अनुपस्थिति में कार्यवाहक प्रमुख।

(5) **दौवारिक** :— राजमहल का संरक्षक एवं प्रवेश-नियंत्रक; राजा की सुरक्षा व्यवस्था का उत्तरदायी।

(6) **अन्तवेशिक** :— राजा का प्रधान अंगरक्षक; आंतरिक सुरक्षा और गोपनीय व्यवस्था का नियंत्रक।

(7) **प्रशास्ता** — कारागारों का प्रधान अधिकारी; कैदियों की देखरेख, अनुशासन और सुरक्षा के लिए उत्तरदायी।

(8) **समाहर्ता** :— राजकोष का प्रमुख अधिकारी; कर-संग्रह, वित्तीय लेखा और आय-व्यय का संचालन करता था।

(9) **सन्निधाता** :— राजकीय निर्माण, भंडारगृह, और संपत्ति के अभिलेखों का अधिकारी; आय का गणक।

(10) **प्रदेष्टा** : — फौजदारी मुकदमों का निपटारा करने वाला अधिकारी; दंड विधान में विशेषज्ञ।

(11) **नायक** :— सेना का क्षेत्रीय अधिकारी; सैनिकों की नियुक्ति और

अनुशासन का दायित्व।

(12) व्यावहारिक :— धर्मस्थलीय न्यायालय का न्यायाधीश; नागरिक विवादों का निवारण करता था।

(13) कामान्तिक :— खानों, उद्योगों, कारखानों का प्रभारी; उत्पादन और संसाधन प्रबंधन करता था।

(14) महामात्य :— अमात्य परिषद् का अध्यक्ष; विभागों के समन्वय और नीति के अनुपालन का निरीक्षक।

(15) दण्डपाल :— दंड विभाग और पुलिस व्यवस्था का प्रमुख अधिकारी।

(16) दुर्गपाल :— दुर्गों, शस्त्रागारों और भंडारगृहों का अधीक्षक।

(17) अन्तपाल :- सीमांत प्रदेशों का प्रमुख अधिकारी; सीमा सुरक्षा और राजदूतों की निगरानी करता था।

(18) आटविक :— वनों, वन्य जनजातियों और वन उत्पादों का प्रबंधक अधिकारी।

विभागीय कार्यप्रणाली और प्रशासनिक नियंत्रण

इन अठारह विभागों के अंतर्गत शासन के समस्त कार्य विभाजित थे। कौटिल्य का यह तंत्र कार्य–विभाजन, उत्तरदायित्व और निरीक्षण के सिद्धांत पर आधारित था। प्रत्येक विभाग की एक स्पष्ट कार्य–सीमा थी, जिससे प्रशासनिक समन्वय बना रहे और अधिकारों का दुरुपयोग न हो।

राजा और उसके विश्वस्त अमात्य समय–समय पर इन विभागों का निरीक्षण करते थे। यदि किसी अधिकारी में भ्रष्टाचार, आलस्य या पक्षपात पाया जाता था, तो उसे तुरंत दंड दिया जाता था। कौटिल्य ने लिखा — कर्मसु दोषान् अन्विष्य दण्डं प्रयोजयेत्। अर्थात् राजा को अधिकारियों के कार्यों में दोष खोजकर दंड देना चाहिए।

कौटिल्य की यह नीति आधुनिक ऑडिट और अकाउंटेबिलिटी सिस्टम के समान थी।

प्रशासनिक अनुशासन और उत्तरदायित्व

कौटिल्य का मानना था कि कोई भी शासन तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि अधिकारी वर्ग उत्तरदायी और ईमानदार न हो। अतः उन्होंने अधिकारियों के लिए नैतिक और व्यवहारिक अनुशासन के कड़े नियम बनाए।

* अधिकारी राजा की अनुमति के बिना किसी अन्य कायज़ में संलग्न नहीं हो सकता था।
* विभागीय निणज़्यों का अभिलेख रखा जाता था ताकि बाद में उत्तरदायित्व तय किया जा सके।
* गुप्तचर तंत्र के माध्यम से राजा अधिकारियों की गतिविधियों पर सतत निगरानी

रखता था।

*   भ्रष्टाचार सिद्ध होने पर दंड और संपत्ति जब्ती की व्यवस्था थी।

इससे स्पष्ट होता है कि कौटिल्य ने एक ऐसी प्रशासनिक प्रणाली की परिकल्पना की जिसमें अधिकार और कर्तव्य दोनों का संतुलन था।

वैदिक साहित्य में हमें दो प्रकार की राजतंत्रात्मक शासन पद्धतियाँ मिलती हैं — नियंत्रित (संविधानिक) और अनियंत्रित (निरंकुश)। वैदिक युग का राजा अपने को दैवी उत्पत्ति का प्रतिनिधि मानता था, किंतु नियंत्रण की स्थिति में वह जनमत और प्रजा-सहमति से शासन करता था।

ऋग्वेद और अथर्ववेद में यह भी उल्लेख है कि राजा को जनता स्वीकार करती थी —

'जनस्य रजा भवति।' अर्थात् राजा जनता का ही प्रतिनिधि होता है।

यही लोकतांत्रिक भावना कौटिल्य के अर्थशास्त्र में परिलक्षित होती है। यद्यपि कौटिल्य राजतंत्र के समर्थक हैं, तथापि उन्होंने जनहित और उत्तरदायित्व को शासन का प्रमुख आधार माना है।

उन्होंने राजा को 'महाप्रशासक' कहा, जिसके अधीन एक विस्तृत केन्द्रीय प्रशासनिक मशीनरी कार्य करती है। इस तंत्र में विश्वसनीय परामर्शदाता, विभागीय अध्यक्ष, अमात्य, और अन्य अधिकारी सम्मिलित थे। अत: कौटिल्य का राजतंत्र एक नियंत्रित राजतंत्र था — न तो पूर्ण लोकतंत्र, न ही निरंकुश तंत्र; बल्कि दोनों के मध्य एक संतुलित शासन प्रणाली।

राजकर्मचारी वर्ग और उनकी भूमिका

कौटिल्य के प्रशासनिक तंत्र में राजकर्मचारी मध्य और निम्न स्तर के अधिकारी होते थे। ये अधिकारी मुख्य रूप से विभागीय अध्यक्षों और अमात्यों के अधीन कायज़ करते थे। उनके कर्तव्य थे- आदेशों का कार्यान्वयन, लेखा और प्रशासनिक अभिलेख का रखरखाव, कर-संग्रह और वित्तीय अनुपालन, न्यायिक निर्णयों में सहयोग, सेना और सुरक्षा संचालन में प्रशासनिक सहायता

राजकर्मचारी वर्ग में निम्न अधिकारी शामिल थे — लेखाकार (लेखागार अधिकारी), सहायक प्रशासक, कर अधिकारी, नगरपालिका अधिकारी, पुलिस निरीक्षक और अन्य स्थानीय कमज़्चारी। प्रत्येक अधिकारी अपने कार्य के लिए विभागीय अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी था।

कौटिल्य ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक अधिकारी की योग्यता और आचरण का मूल्यांकन नियमित रूप से किया जाना चाहिए। भ्रष्टाचार, आलस्य, अथवा आदेशों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कठोर दंड का प्रावधान था।

दंड व्यवस्था और अनुशासन

कौटिल्य के प्रशासन में दंड व्यवस्था का महत्व अत्यधिक था। उन्होंने शासन की स्थिरता और कानून के पालन के लिए स्पष्ट और कठोर नियम निर्धारित किए।

(1) अधिकारियों के लिए दंड :— विभागीय अधिकारी यदि अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते थे तो उन्हें पदच्युत, संपत्ति जब्त या शारीरिक दंड दिया जाता था।

(2) सैनिकों के लिए अनुशासन :— सेना में अनुशासन बनाए रखने के लिए दंड नीति कठोर थी। सैनिकों की ड्यूटी में उल्लंघन या कायरता पर कठोर दंड लागू होता था।

(3) सामान्य प्रजा के लिए दंड :— अपराधों के प्रकार के अनुसार उचित दंड निर्धारित था। प्रदेष्टा और व्यावहारिक अधिकारी इस कार्य में प्रमुख थे।

कौटिल्य ने कहा कि शासन में दंड न केवल दंडात्मक हो बल्कि शिक्षाप्रद भी होना चाहिए, ताकि प्रशासनिक व्यवस्था और सामाजिक अनुशासन सुनिश्चित हो।

न्यायिक प्रशासन

न्याय और प्रशासन का समन्वय कौटिल्य की दृष्टि में अत्यंत आवश्यक था। उन्होंने न्यायिक तंत्र को दो भागों में विभाजित किया–

(1) धमस्थलीय न्यायालय :— स्थानीय विवादों, संपत्ति विवाद, और छोटे अपराधों के निपटारे के लिए।

(2) राजकीय न्यायालय :— गंभीर अपराध, बड़े वित्तीय मामलों और राज्य विरोधियों के मामले।

प्रमुख अधिकारी इस तंत्र में शामिल थे–

व्यावहारिक :— धर्मस्थलीय न्यायालय का अधिकारी

प्रदेष्टा :— फौजदारी मामलों का निपटारा

युवराज और महामात्य :— उच्च न्यायिक मामलों में परामर्श और निर्णय

कौटिल्य ने न्यायाधिकार का आधार सत्य, निष्पक्षता और जनहित पर रखा। अधिकारी केवल राजा के आदेशों का पालन नहीं करते थे, बल्कि उन्हें न्यायिक विवेक और नीति के अनुसार निर्णय लेने की स्वतंत्रता भी थी।

स्थानीय प्रशासन और जनपद व्यवस्था

कौटिल्य के अनुसार राज्य का सफल प्रशासन तभी संभव है जब स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक तंत्र प्रभावी हो। इसके लिए उन्होंने जनपद, ग्राम, और नगर स्तर पर अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान किया।

प्रदेशपाल :— सीमांत प्रदेशों का प्रमुख अधिकारी, स्थानीय सुरक्षा और राजकीय नियंत्रण का उत्तरदायी।

ग्राम अधिकारी :— गांवों में कर संग्रह, कानून–व्यवस्था, और जनता के

कल्याण के लिए उत्तरदायी।

नगर प्रशासन अधिकारी :— नगरों में व्यापार, उद्योग, सुरक्षा और सार्वजनिक सुविधाओं का संचालन।

इस तंत्र में स्थानीय अधिकारियों को भी राजा के प्रति उत्तरदायी माना गया। नियमित निरीक्षण और रिपोर्टिंग के माध्यम से केन्द्रीय शासन को स्थानीय गतिविधियों की जानकारी मिलती थी।

जासूसी और सूचना तंत्र

कौटिल्य ने प्रशासन में सूचना और जासूसी तंत्र को अत्यंत महत्वपूर्ण माना। उन्होंने स्पष्ट किया कि 'राजा, जिसकी दृष्टि अंधी नहीं, शासन सुरक्षित रहता है।'

प्रमुख कार्य –

* गुप्तचर (सूचना अधिकारी) का कार्य प्रजा और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच निगरानी करना।
* सीमा, दुर्ग और नगरों में गुप्तचरों की नियुक्ति।
* अपराधों, भ्रष्टाचार और विद्रोह की समय पर जानकारी राजा और अमात्यों तक पहुंचाना।

यह तंत्र शासन में पारदर्शिता और नियंत्रण सुनिश्चित करता था।

आर्थिक एवं राजस्व प्रशासन

कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज्य की स्थिरता और शक्ति का आधार आर्थिक प्रबंधन और राजस्व प्रणाली है। उन्होंने स्पष्ट किया कि शासन की सफलता आर्थिक संपन्नता पर निर्भर करती है।

(1) राजस्व विभाग :- समाहर्ता और अन्य वित्तीय अधिकारी राजस्व संग्रह, कर प्रशासन और खजाने की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी थे।

(2) कर नीति :- उत्पादन, व्यापार और कृषि पर कर लगाने के स्पष्ट नियम। कर का उद्देश्य केवल राजस्व संग्रह नहीं, बल्कि प्रजा के विकास और राज्य के कल्याण को सुनिश्चित करना था।

(3) वित्तीय अनुशासन :- लेखा परीक्षा, अभिलेखों का रखरखाव, और धन की निगरानी। भ्रष्टाचार और विलुप्ति की रोकथाम।

(4) संसाधन प्रबंधन :- खानों, कारखानों, वन संसाधनों और उद्योगों का प्रबंधन, जिससे राज्य को स्थायी आर्थिक लाभ प्राप्त हो।

कौटिल्य ने यह सुनिश्चित किया कि राज्य की आर्थिक शक्ति ही उसकी सैन्य और प्रशासनिक शक्ति को स्थिर बनाए रखे।

दंडनीति और सामाजिक नियंत्रण

कौटिल्य ने शासन में दंड और अनुशासन को न केवल प्रशासनिक उपकरण

माना, बल्कि सामाजिक स्थिरता और न्याय की नींव भी।

प्रमुख सिद्धांत:

* दंड का उद्देश्य अपराधियों को शिक्षा देना और समाज में अनुशासन बनाए रखना।

* प्रत्येक अधिकारी अपने विभाग में दंड की निगरानी करता।

* न्यायिक अधिकारियों द्वारा स्पष्ट नियमों के तहत अपराधियों पर दंड लगाया जाता।

यह दंडनीति प्रशासनिक कुशलता और जनहित के संतुलन पर आधारित थी।

राजकर्मचारियों का वेतन, सुविधाएँ

कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रशासनिक मशीनरी का संगठन केवल पदों और कर्तव्यों तक सीमित नहीं था। उन्होंने अधिकारियों को सक्षम, ईमानदार, और सजग बनाए रखने के लिए वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा के व्यापक प्रावधान किए। इससे स्पष्ट होता है कि उनका उद्देश्य केवल राज्य के संचालन को सुनिश्चित करना नहीं था, बल्कि प्रशासनिक तंत्र में नैतिकता, सक्रियता और दीर्घकालिक स्थिरता स्थापित करना था।

वेतन की संरचना और वित्तीय प्रावधान :- कौटिल्य ने प्रशासनिक तंत्र के सभी वरिष्ठ और अधीनस्थ पदाधिकारियों के लिए वेतन का विवेकपूर्ण और उदार प्रावधान किया। राज्य से प्राप्त कुल राजस्व का लगभग 1/4 हिस्सा प्रशासनिक मशीनरी को वेतन के रूप में प्रदान किया जाता था। वेतन मुद्रा को 'पण' कहा जाता था, और प्रत्येक पण का भार 16 मासा तोल होता था। एक पण में चांदी, तांबा और रांगा का अनुपात 11: 4 : 1 निर्धारित था, जो न केवल धन की मूल्यवत्ता को सुनिश्चित करता था, बल्कि प्रशासनिक वित्तीय स्थिरता का भी आधार था।

विभिन्न पदों के वेतन का वितरण इस प्रकार था-

* मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज को वार्षिक 48,000 पण दिया जाता था। यह उच्चतम स्तर का वेतन था, जो उनके अत्यधिक जिम्मेदारियों, प्रशासनिक निर्णयों और राजकीय संचालन में योगदान के अनुसार निर्धारित था।
* दौवारिक, अन्तवेशिक, प्रशास्ता, समाहर्ता और सन्निधाता को 24,000 पण। ये अधिकारी सीधे राज्य के केंद्रीय कार्यों, वित्तीय प्रबंधन और सुरक्षा विभागों के संचालन के लिए उत्तरदायी थे।
* प्रदेष्टा, नायक, पौर, व्यावहारिक, कामान्तिक, सभ्य, दण्डपाल, दुगपाल और अन्तपाल को 12,000 पण। ये मध्य स्तर के अधिकारी थे, जिनका कार्य प्रशासनिक आदेशों का पालन और विभागीय समन्वय सुनिश्चित करना था।
* विशेष पद प्रदेष्टा (विशेष कार्य) को 8,000 पण, जबकि सेना के विभागाध्यक्ष

— पैदल, अश्व, रथ और गज के अध्यक्ष एवं आटविक — 4,000 पण।

* अन्य सभी विभागाध्यक्षों को 1,000 पण।

इस वर्गीकरण से स्पष्ट होता है कि कौटिल्य ने कार्य और जिम्मेदारी के अनुसार वेतन में भिन्नता स्थापित की, जिससे अधिकारी अपने कायज़ में सजग और उत्तरदायी बने।

वेतन के अतिरिक्त सुविधाएँ :- वेतन मात्र नहीं था; कौटिल्य ने अधिकारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के प्रावधान भी सुनिश्चित किए।

(1) परिवारिक सुरक्षा :- यदि कार्य करते समय कोई अधिकारी मृत्यु को प्राप्त होता था, तो उसका वेतन और आर्थिक लाभ उसके पत्नी और पुत्रों को दिया जाता था।

(2) वृद्ध एवं रोगी परिवार :- अधिकारी के परिवार के वृद्ध या रोगी सदस्य पर राजा की ओर से सहायता।

(3) जीवन-संकट में सहायता :- परिवार में मृत्यु, गंभीर रोग या संतान उत्पत्ति पर राज्य की ओर से आर्थिक और अन्य सहायता प्रदान की जाती थी।

यह नीति प्रशासनिक कर्मचारियों में निष्ठा, समपज़्ण और दीर्घकालिक सेवा भावना उत्पन्न करती थी। अधिकारियों को यह विश्वास था कि उनके प्रयासों और समर्पण की राज्य द्वारा रक्षा और प्रशंसा की जाएगी।

प्रशासनिक प्रोत्साहन और वेतन का उद्देश्य

कौटिल्य का दृष्टिकोण केवल वित्तीय नहीं था। उन्होंने प्रशासनिक प्रोत्साहन और वेतन नीति को राज्य की स्थिरता, भ्रष्टाचार की रोकथाम और प्रशासनिक सक्रियता के उपकरण के रूप में देखा।

* अधिक वेतन प्राप्त अधिकारी अधिक सक्रिय और जिम्मेदार बनते थे।

* अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन और सुविधाएँ उन्हें शासन सेवा में जोड़कर रखते थे।

* मृतक अधिकारियों के परिवार के लिए आर्थिक सुरक्षा से यह संदेश जाता था कि राज्य अपने सेवकों के प्रति उत्तरदायी है, जिससे प्रशासनिक तंत्र में विश्वास और वफादारी का निर्माण होता था।

इस प्रकार, कौटिल्य के प्रशासनिक तंत्र में वित्तीय प्रबंधन और सामाजिक सुरक्षा का महत्व अत्यधिक था। वेतन और सुविधाओं का विस्तृत प्रावधान केवल अधिकारियों को जीवनयापन देने के लिए नहीं था, बल्कि राज्य सेवा में ईमानदारी, उत्तरदायित्व और सक्रियता सुनिश्चित करने का एक माध्यम था।

कर्मचारियों का राजा के प्रति कर्त्तव्य

राजकर्मचारियों के लिए यह प्रोत्साहन तंत्र उनके कर्तव्यपालन, नैतिक आचरण

और शासन की दीर्घकालिक स्थिरता के लिए अनिवार्य था। यही कारण है कि कौटिल्य का प्रशासनिक मॉडल आज भी संगठित, उत्तरदायी और प्रभावी शासन का आदर्श माना जाता है।

कौटिल्य के अनुसार, प्रशासनिक तंत्र केवल पदों और आदेशों तक सीमित नहीं था, बल्कि प्रत्येक अधिकारी का राजा और विभागाध्यक्ष के प्रति उत्तरदायित्व सवोज़्च्च था। अधिकारी को राजा के प्रिय और हितैषी व्यक्तियों तथा योग्य अमात्यों के मार्गंदर्शंन से कार्यं करना चाहिए। यदि योग्य राजा उपलब्ध न हो, तो आत्मसंपन्न राजा का आश्रय लेना उचित माना गया, जबकि अमात्ययुक्त परंतु आत्मसंपन्न न होने वाले राजा का आश्रय ग्रहण नहीं करना चाहिए।

कौटिल्य ने अधिकारियों के लिए सतर्कता और दक्षता पर विशेष बल दिया। उन्हें राजा द्वारा पूछे गए प्रश्नों का तत्काल और निपुण उत्तर देना आवश्यक था। प्रशासनिक अधिकारियों की शक्ति और गतिविधियों का अनुमान लगाना कठिन था, इसलिए राजा को उनकी निरंतर निगरानी रखने की सलाह दी गई।

अधीनस्थ विभाग और अधिकारी अपने कार्यों के लिए दोहरी उत्तरदायित्व निभाते थे- अपने प्रधान विभागाध्यक्ष और राजा के प्रति। अष्टादश तीर्थ और उनके अधीन विभागों का संगठन, नियुक्ति, पदक्षति और कार्यभार राज्य व्यवस्था को सुसंगठित, अनुशासित और प्रभावी बनाता था।

इस व्यवस्था ने केवल शासन संचालन नहीं सुनिश्चित किया, बल्कि अधिकारियों में निष्ठा, सक्रियता और उत्तरदायित्व भी उत्पन्न किया। यही कारण है कि कौटिल्य का प्रशासनिक तंत्र आज भी संगठित और उत्तरदायी शासन का आदर्श माना जाता है।

निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि कौटिल्य के समय प्रशासन पूरी तरह संगठित, व्यवस्थित और उत्तरदायी था। हर अधिकारी अपने काम के लिए राजा और विभागाध्यक्ष दोनों के प्रति जवाबदेह था। नियुक्ति और पदोन्नति का अधिकार केवल राजा के पास था, जो योग्य और योग्यताधारी व्यक्तियों का चयन करता था। अष्टादश तीर्थ और उनके अधीन विभागों का यह संगठन, उनके कर्तव्य और उत्तरदायित्व अद्वितीय थे। इस व्यवस्था ने शासन को मजबूत, प्रभावी और दक्ष बनाया और अधिकारियों में ईमानदारी, जिम्मेदारी और कुशलता को बढ़ावा दिया। आज भी प्रशासनिक और शैक्षणिक प्रणाली में कौटिल्य के इस मॉडल की झलक देखी जा सकती है।

❑❑❑